**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF RAILWAYS**

**LOK SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO.1784**
**TO BE ANSWERED ON 30.07.2025**

# WORKING CONDITIONS OF LOCO PILOTS

**1784. MS SAYANI GHOSH:**
**SMT. KANIMOZHI KARUNANIDHI:**

**Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:**

**(a) whether there are any fixed working hours and leave policy for the loco pilots, if so, the details thereof including total working hours in a day/a week, any breaks and attending nature's call etc.;**

**(b) whether it is a fact that the Government has rejected a long-pending demand of loco pilots to provide a break for having meals and attending nature's call while on duty, given the increasing major train accidents where human error was often attributed as the reason, if so, the details thereof;**

**(c) whether the Government is considering mandatory deployment of two loco pilots or assistant pilots for long-distance or high-speed routes to reduce stress and ensure safety, if so, the details thereof;**

**(d) whether the Government is aware of the grievances of loco pilots that they are not given the mandated 16 hours of headquarters rest and 30 hours of periodic rest properly and if so, the details thereof;**

**(e) the measures taken by the Government to ensure that the loco pilots and assistant loco pilots are provided adequate rests; and**

**...2/-**

:_: www.staffnews.in :_:

**(f) the details regarding the number of vacancies of loco pilots and assistant loco pilots in the railways at present and the reasons therefor?**

**ANSWER**

**MINISTER OF RAILWAYS, INFORMATION & BROADCASTING AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY**

**(SHRI ASHWINI VAISHNAW)**

**(a) to (f) Loco Pilots are important members of Indian Railway family who play pivotal role for moving passenger and goods traffic in safe and efficient manner. Indian Railways is committed to ensure proper working conditions for loco pilots.**

**Loco Pilots are classified under Continuous Category. Section 132 (2) of Railway Act,1989, prescribes duty hours of 54 hours per week on an average in a two-weekly period of fourteen days for staff working under Continuous category.**

**Rule 8 of "Hours of Work and Period of Rest" (HOER),2005 lays down the guidelines of duty hours of 52 hours per week on an average in a two-weekly period of fourteen days for Loco Pilots i.e., duty hours are less than maximum hours of 54 for other "Continuous" category employees on Indian Railways.**

**The Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949, which govern the provisions for leave entitlements of railway employees specify types of leave such as Leave on Average Pay (LAP), Leave on Half Average Pay(LHAP), Commuted Leave, Extraordinary Leave (EOL), etc. and the same are applicable to all Railway Servants including the Loco Pilots.**

...3/-

:_: www.staffnews.in :_:

**Loco Pilots are given Head Quarter rest, Out Station Rest and Periodic Rest as under:**

**Head Quarter Rest - Head Quarter rest of 16 hours is given after a running staff member reaches their Head Quarter, and periodic rest of 30 hours or 22 hours (as and when due) is provided as per Section 133 of the Railway Act, 1989. Since periodic rest is also a Head Quarter rest, the requirement for 16 hours Head Quarter rest is fulfilled during periodic rest.**

**Out Station Rest - Out station rest is also given when a loco pilot completes his outward journey and it is as under: -**

| Duty Hours | Rest |
|---|---|
| For duty less than 5 hours | Equivalent to the hours of duty performed + 1 hours |
| For duty 5- 8 Hours | 6 Hours |
| For Duty 8 Hours or more | 8 Hours |

**Periodic Rest- Section 133 of Railway Act,1989 and Rule 12 of HOER, 2005 lays down the guidelines for Periodical rest of Running staff. These stipulates that running staff be granted, each month, a rest of at least five periods of not less than twenty-two consecutive hours each, or a rest of at least four periods of not less than thirty consecutive hours each including a full night.**

**The running hours of Loco Pilots are meticulously monitored. Except for exigencies, the running hours are maintained.**

...4/-

:_: www.staffnews.in :_:

For improvement of working conditions of loco running crew, ergonomic crew friendly design features like better seat and driver desks for better comfort of loco pilots has been provided and all new locos are provided with air-conditioned cabs. Furthermore, running rooms have been equipped with air-conditioning and are provided with facilities such as subsidized meals, foot massagers, and RO water filters for the comfort of the running staff. As regards provision of break for meals and attending to nature's call, the same is already inbuilt in the system for Freight and Passenger Loco pilots.

Presently recruitment of 1.08 lakh vacancies has been taken up on Indian Railways. Details are as under:

During January to December 2024, ten Centralized Employment Notifications (CENs) for 92116 vacancies have been notified for filling up of posts of Assistant Loco Pilots (ALPs), Technicians, Sub-Inspectors, Constables in Railway Protection Force (RPF), Junior Engineers (JEs)/ Depot Material Superintendent (DMS)/ Chemical & Metallurgical Assistant (CMA), Paramedical Categories, Non-Technical Popular Categories (Graduate), Non-Technical Popular Categories (Under-Graduate), Ministerial & Isolated Categories and Level-1.

First stage Computer Based Tests (CBTs) for 55197 posts have been completed in four phases. Details are as under-

| Exam | Candidates | Cities | Languages |
|---|---|---|---|
| 1st Stage CBT for the post of ALP (18,799 vacancies) | 18,40,347 | 156 | 15 |

...5/-

:_: www.staffnews.in :_:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CBT for the post of Technician (14,298 vacancies)** | **26,99,892** | **139** | **15** |
| **1st Stage CBT for the post of JE/DMS/CMA (7,951 vacancies)** | **11,01,266** | **146** | **15** |
| **CBT for the post of RPF-SI (452 vacancies)** | **15,35,635** | **143** | **15** |
| **CBT for the post of RPF-Constable (4208 vacancies)** | **45,30,288** | **147** | **15** |
| **CBT for Paramedical Categories (1376 vacancies)** | **7,08,321** | **143** | **15** |
| **1st Stage CBT for Non-Technical Popular Category (Graduate)(8113 vacancies)** | **58,41,774** | **141** | **15** |

**Results of CBTs for the posts of ALP (1st stage), RPF-SI and Constable, JE/DMS/CMA (1st Stage) and Technicians have already been published. 2nd stage CBTs for the posts of ALP and JE/DMS/CMA have also been completed. Details are as under: -**

| Exam | Candidates | Cities | Languages |
|---|---|---|---|
| **2nd Stage CBT for the post of ALP (18,799 vacancies)** | **2,66,363** | **112** | **15** |
| **2nd Stage CBT for the post of JE/DMS/CMA (7,951 vacancies)** | **1,17,339** | **118** | **15** |

**...6/-**

:_: www.staffnews.in :_:

**Results for 2nd stage CBTs of ALP & JE/DMS/CMA have also been published.**

**Out of 14,298 vacancies of Technicians notified in 2024, panels of more than 9,000 selected candidates have already been provided by the RRBs.**

**In addition, as per Annual Calendar for the year 2025, following two Centralized Employment Notifications have also been issued: -**

**a. Centralized Employment Notification (CEN) No. 01/2025, for 9,970 vacancies of ALPs has also been notified in March 2025.**

**b. Centralized Employment Notification (CEN) No. 02/2025, for 6,238 vacancies of Technician has been notified in June 2025.**

**Occurrence and filling up of vacancies is a continuous process on Indian Railways considering its size, spatial distribution and criticality of operation. Adequate and suitable manpower is provided to cater to the regular operations, changes in technology, mechanizations and innovative practices. The vacancies are filled up primarily by placement of indents by Railways with Recruitment agencies as per operational and technological requirements.**

**The RRB examinations are quite technical in nature entailing large scale mobilization of men and resources and training of manpower. Railway overcame all these challenges and successfully conducted the recruitment in a transparent manner following all laid down guidelines. No instance of paper leakage or similar malpractice has occurred during the entire process.**

**...7/-**

:_: www.staffnews.in :_:

**Recruitment done in Indian Railways during 2004-2005 to 2013-2014 vis-à-vis during 2014-2015 to 2024-2025 is given as under: -**

| Period | Recruitments |
|---|---|
| 2004-2005 to 2013-2014 | 4.11 lakhs |
| 2014-2015 to 2024-2025 | 5.08 lakhs |

**Further, as a system improvement, the Ministry of Railways has introduced a system of publishing annual calendar from 2024 for recruitment to various categories of Group 'C' posts. The introduction of annual calendar will benefit the aspirants in the following manner:**

- **More opportunities for candidates;**
- **Opportunities to those becoming eligible every year;**
- **Certainty of exams;**
- **Faster Recruitment process, Training and Appointments.**

*****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1784 का उत्तर

लोको पायलटों की कार्य स्थितियां

1784. सुश्री सयानी घोष:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोको पायलटों के लिए कोई निश्चित कार्य समय और अवकाश नीति है और यदि हाँ, तो उसमें एक दिन/सप्ताह में कुल कार्य घंटे, कोई अवकाश और शौचादि जाने के लिए समय, आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह देखते हुए कि बड़ी रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें अक्सर मानवीय भूल को कारण माना जाता है, लोको पायलटों की ड्यूटी के दौरान भोजन करने और शौच के लिए अवकाश प्रदान करने की लंबे समय से लंबित मांग को अस्वीकार कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तनाव कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी या उच्च गति वाले मार्गों पर दो लोको पायलटों या सहायक पायलटों की अनिवार्य तैनाती पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लोको पायलटों की इस शिकायत से अवगत है कि उन्हें अनिवार्य 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम और 30 घंटे का आवधिक विश्राम ठीक से नहीं दिया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

:_: www.staffnews.in :_:

(च) वर्तमान में रेलवे में लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) से (च) लोको पायलट भारतीय रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो यात्री और माल यातायात की सुरक्षित और कुशल आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल लोको पायलटों के लिए उचित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोको पायलट निरंतर कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। रेल अधिनियम-1989 की धारा 132(2) में निरंतर कोटि के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे प्रति सप्ताह की ड्यूटी घंटे निर्धारित किए गए हैं।

"कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि", 2005 के नियम-8 में लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की ड्यूटी के घंटे होने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं अर्थात् भारतीय रेल में अन्य "निरंतर" कोटि के कर्मचारियों के लिए कार्य के घंटे अधिकतम 54 घंटे से कम हैं।

रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम, 1949, जो रेल कर्मचारियों की अवकाश पात्रता के प्रावधानों को नियंत्रित करते हैं, में छुट्टियों के प्रकार निर्दिष्ट हैं, जैसे औसत वेतन अवकाश (एलएपी), अर्ध औसत वेतन अवकाश (एलएचएपी), परिवर्तित अवकाश, असाधारण अवकाश (ईओएल), आदि और ये लोको पायलटों सहित सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

:_: www.staffnews.in :_:

लोको पायलटों को मुख्यालय में विश्राम, बाह्य स्टेशन विश्राम और आवधिक विश्राम निम्नानुसार दिया जाता है:-

मुख्यालय में विश्राम - रेल अधिनियम, 1989 के खंड 133 के अनुसार, रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय पहुंचने के बाद 16 घंटे का विश्राम और 30 घंटे अथवा 22 घंटे (जब कभी देय हो) का आवधिक विश्राम दिया जाता है। चूंकि आवधिक विश्राम भी एक प्रकार का मुख्यालय विश्राम है, अतः 16 घंटे के मुख्यालय विश्राम की आवश्यकता आवधिक विश्राम के दौरान पूरी हो जाती है।

बाह्य स्टेशन विश्राम - जब लोको पायलट बाह्य यात्रा पूरी करता है तब उसे बाह्य स्टेशन विश्राम भी दिया जाता है और इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

| ड्यूटी के घंटे | विश्राम |
|---|---|
| 5 घंटे से कम ड्यूटी के लिए | की गई ड्यूटी के घंटों के समान + 1 घंटा |
| 5-8 घंटे की ड्यूटी के लिए | 6 घंटे |
| 8 घंटे अथवा उससे अधिक की ड्यूटी के लिए | 8 घंटे |

आवधिक विश्राम - रेल अधिनियम, 1989 की खंड 133 और "कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि", 2005 के नियम-12 के अनुसार रनिंग स्टाफ के आवधिक विश्राम के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि रनिंग स्टाफ को प्रत्येक माह कम से कम पांच अवधियों का विश्राम दिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक अवधि लगातार बाईस घंटों से कम नहीं होगी, अथवा कम से कम चार अवधियों का विश्राम दिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक अवधि लगातार तीस घंटों से कम नहीं होगी, इसमें एक पूरी रात की अवधि भी शामिल होगी।

लोको पायलटों के रनिंग घंटे की सतर्कता से निगरानी की जाती है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, रनिंग घंटों का रिकॉर्ड रखा जाता है।

लोको रनिंग क्रू की कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए लोको पायलटों की बेहतर सुविधा के लिए बेहतर सीट और ड्राइवर डेस्क जैसी श्रम दक्ष कर्मी अनुकूल डिजाइन सुविधाओं को प्रदान किया गया है और सभी नए रेलइंजनों में वातानुकूलित कैब लगाई गई हैं। इसके अलावा, रनिंग रूम को एयर कंडीशनिंग से सुसज्जित किया गया है और रनिंग स्टाफ की सुविधा के लिए सब्सिडी वाले भोजन, फुट मसाजर और आरओ वॉटर फिल्टर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जहां तक माल गाड़ियों और पैसेंजर लोको पायलटों के भोजन और शौचालय हेतु अंतराल का संबंध है, यह पहले से ही प्रणाली में अंतर्निमित है।

वर्तमान में भारतीय रेल में 1.08 लाख रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः-

सहायक लोको पायलटों (एएलपी), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कोटियां और लेवल-1 के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं।

55197 पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा चार चरणों में पूरी की गई हैं। ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

| परीक्षा | अभ्यर्थी | शहर | भाषाएं |
|---|---|---|---|
| एएलपी के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी | 18,40,347 | 156 | 15 |
| तकनीशियन के पद (14,298 रिक्तियां) हेतु सीबीटी | 26,99,892 | 139 | 15 |
| जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु प्रथम | 11,01,266 | 146 | 15 |

:_: www.staffnews.in :_:

| | | | |
|---|---|---|---|
| चरण सीबीटी | | | |
| रे.सु.ब. एस.आई के पद (452 रिक्तियां) हेतु सीबीटी | 15,35,635 | 143 | 15 |
| आरपीएफ-कांस्टेबल के पद (4208 रिक्तियां) हेतु सीबीटी | 45,30,288 | 147 | 15 |
| पैरामेडिकल कोटियों (1376 रिक्तियां) हेतु सीबीटी | 7,08,321 | 143 | 15 |
| गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी | 58,41,774 | 141 | 15 |

एएलपी (प्रथम चरण), रे.सु.ब.-एस.आई और कांस्टेबल, जेई/डीएमएस/सीएमए (प्रथम चरण) और तकनीशियनों के पदों के लिए सीबीटी के परिणाम पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। एएलपी और जेई/डीएमएस/सीएमए के पदों के लिए द्वितीय चरण की सीबीटी भी पूरी की जा चुकी है। इनका ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

| परीक्षा | अभ्यर्थी | शहर | भाषाएं |
|---|---|---|---|
| एएलपी के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी | 2,66,363 | 112 | 15 |
| जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी | 1,17,339 | 118 | 15 |

एएलपी एवं जेई/डीएमएस/सीएमए पदों के लिए द्वितीय चरण सीबीटी के परिणाम पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

2024 में अधिसूचित तकनीशियनों की 14,298 रिक्तियों में से, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा 9,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को पहले ही मुहैया कराया जा चुका है।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, निम्नलिखित दो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं-

क. एएलपी की 9,970 रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 01/2025 मार्च 2025 में अधिसूचित की गई है।

ख. तकनीशियनों की 6,238 रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 02/2025 जून 2025 में अधिसूचित की गई है।

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रियाएं हैं। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। इन रिक्तियों को रेलवे द्वारा मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों और संसाधनों को जुटाना तथा जनशक्ति को प्रशिक्षण देना होता है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-14 की तुलना में 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः-

| अवधि | भर्तियां |
|---|---|
| 2004-2005 से 2013-14 | 4.11 लाख |
| 2014-2015 से 2024-2025 | 5.08 लाख |

:_: www.staffnews.in :_:

**इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:**

- **अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;**
- **प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;**
- **परीक्षाओं की निश्चितता;**
- **भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।**

******

:_: www.staffnews.in :_: